



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092023-248667
CG-DL-E-13092023-248667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3822]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2023/भाद्र 21, 1945

No. 3822]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2023/BHADRA 21, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2023

(आयकर)

का.आ. 3984(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उप-धारा (23डंग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई द्वारा स्थापित मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन्वेस्टर (क्लाइंट) प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 77 /2023/ फा. सं.173/105/2013-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन : प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।